बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक ''आर्थिक हल युवाओं को बल'' के अधीन कुशल युवा कार्यक्रम संचालित है। राज्य सरकार के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के संचालन के लिए नवादा सदर प्रखण्ड में M/s Common Service Center को KYP code 04040020 के संचालन का दायित्व सौंपा गया ।

श्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन को एक परिवाद पत्र उपलब्ध कराया गया। उक्त परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री नीतीश कुमार के द्वारा DRCC के Portal पर पंजीकरण कराने के पश्चात नामांकन हेतु KYP code 04040020 पर गये तो केन्द्र पर उपस्थित कर्मी के द्वारा इनका पंजीयन संख्या तथा आधार कार्ड प्राप्त कर लिया गया एवं माह मई,2018 के वैच में नामांकन कर उनकी Learning किसी अन्य Learner के माध्यम से पूर्ण कराकर उनका प्रमाणीकरण करा दिया गया । बाद में जब माह नवम्बर में उनके द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम में नामांकन कराने हेतु केन्द्र पर सम्पर्क किया गया तो उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि उनका प्रशिक्षण पूर्ण है तथा उनका प्रमाणीकरण भी हो चुका है, जवकि उनके द्वारा अभीतक कहीं भी नामांकन हीं नहीं कराया गया है।

उपरोक्त के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–1718 दिनांक–13.12.2018 के द्वारा M/s Common Service Center नवादा से स्पष्टीकरण पूछा गया था । श्रीमती अनिता देवी, निदेशक, M/s Common Service Center नवादा के द्वारा अपना स्पष्टीकरण बिहार कौशल विकास मिशन को समर्पित किया गया है। अपने स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री नीतीश कुमार ने किसी दुसरे छात्र को अपने स्थान पर भेजकर उक्त केन्द्र पर कार्यरत LF रोहित कुमार के सहयोग से प्रशिक्षण पूरा करते हुए प्रमाणीकरण भी करा लिया गया । साथ हीं उनके द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि मामले की जानकारी होने के पश्चात उनके द्वारा Learning facilitator श्री रोहित कुमार को सेवामुक्त कर दिया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त M/s Common Service Center नवादा से प्राप्त स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया जाता है। संस्था द्वारा KYP code 04040020 का संचालन बिहार कौशल विकास मिशन के नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। उपरोक्त गंभीर प्रवृति के प्रमाणित आरोपों के आलोक में KYP code 04040020 का पंजीयन स्थायी रूप से रद्द किया जाता है। वर्तमान में उक्त केन्द्र पर प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके प्रशिक्षण पूर्ण होने तक केन्द्र के संचालन की अनुमति दी जाती है। परन्तु केन्द्र के अन्य किसी भी प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन लेने पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है ।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

ह0/–
(रंजिता)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक :– बी०एस०डी०एम०/एस0डी0एम०–18/2017(खण्ड–1) 269 पटना,दिनांक – 13/03/20

प्रतिलिपिः– 1. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. Project Director, MKCL/ Project Director, E&Y को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. मिशन प्रबन्धक, वित्त एवं लेखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि केन्द्र को किये जाने वाले सभी भुगतान लंबित रहेंगे, प्रशिक्षणरत सभी प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त हीं केन्द्र को भुगतान किया जाये ।

4 मिशन निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन /मिशन प्रबन्धक(कार्यक्रम क्रियान्वयन)/मिशन प्रबन्धक(समन्वय)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6. सभी जिला नियोजन पदाधिकारी–सह–जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी, कौशल विकास मिशन / सभी जिला कौशल प्रबन्धक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7. Educomp Solutions Pvt.Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.03.2020
(रंजिता)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

Scanned with CamScanner